



APPROVAL PROCESS 2021-22

Extension of Approval (EoA)

F.No. Northern/1-9318111874/2021/EOA

Date: 25-Jun-2021

To,

The Principal Secretary (Tech. Edu.)
 Govt. of Uttar Pradesh,
 Sachiv Bhawan, Lucknow-226001,
 12A, Navin Bhawan,
 U.P. Lucknow-226001

Sub: Extension of Approval for the Academic Year 2021-22

Ref: Application of the Institution for Extension of Approval for the Academic Year 2021-22

Sir/Madam,

In terms of the provisions under the All India Council for Technical Education (Grant of Approvals for Technical Institutions) Regulations, 2021 Notified on 4th February, 2020 and amended on 24th February 2021 and norms standards, procedures and conditions prescribed by the Council from time to time, I am directed to convey the approval to:

Permanent Id	14048493	Application Id	1-9318111874
Name of the Institution /University	MANGALMAY INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY	Name of the Society/Trust	MANGALMAY FOUNDATION TRUST
Institution /University Address	PLOT NO 8 & 9 , KNOWLEDGE PARK-II , GREATER NOIDA, GREATER NOIDA, GAUTAM BUDDHA NAGAR, Uttar Pradesh, 201310	Society/Trust Address	C - 116, SECTOR - 39, NOIDA,NOIDA,GAUTHAM BUDDHA NAGAR,Uttar Pradesh,201301
Institution /University Type	Private-Self Financing	Region	Northern

To conduct following Programs / Courses with the Intake indicated below for the Academic Year 2021-22

Program	Level	Course	Affiliating Body (University /Body)	Intake Approved for 2020-21	Intake Approved for 2021-22	NRI Approval Status	FN / Gulf quota/ OCI/ Approval Status
MANAGEMENT	POST GRADUATE	MBA	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	240	240	NA	NA

It is mandatory to comply with all the essential requirements as given in APH 2021-22 (Appendix 6)

Important Instructions

1. The State Government/ UT/ Directorate of Technical Education/ Directorate of Medical Education shall ensure that 10% of reservation for Economically Weaker Section (EWS) as per the reservation policy for admission, operational from the Academic year 2019-20 is implemented without affecting the reservation percentages of SC/ ST/ OBC/ General. However, this would not be applicable in the case of Minority Institutions referred to the Clause (1) of Article 30 of Constitution of India. Such Institution shall be permitted to increase in annual permitted strength over a maximum period of two years.
2. The Institution offering courses earlier in the Regular Shift, First Shift, Second Shift/Part Time now amalgamated as total intake shall have to fulfil all facilities such as Infrastructure, Faculty and other requirements as per the norms specified in the Approval Process Handbook 2021-22 for the Total Approved Intake. Further, the Institutions Deemed to be Universities/ Institutions having Accreditation/ Autonomy status shall have to maintain the Faculty: Student ratio as specified in the Approval Process Handbook. All such Institutions/ Universities shall have to create the necessary Faculty, Infrastructure and other facilities WITHIN 2 YEARS to fulfil the norms based on the Affidavit submitted to AICTE within the Academic Year 2021-22
3. Strict compliance of Anti-Ragging Regulation, Establishment of Committee for SC/ ST, Establishment of Internal Complaint Committee (ICC), Establishment of Online Grievance Redressal Mechanism, Barrier Free Built Environment for disabled and elderly persons, Fire and Safety Certificate should be maintained as per the provisions made in Approval Process Handbook and AICTE Regulation notified from time to time.
4. In case of any differences in content in this Computer generated Extension of Approval Letter, the content/information as approved by the Executive Council / General Council as available on the record of AICTE shall be final and binding.

Prof. Rajive Kumar
Member Secretary, AICTE

Copy.** to:

1. The Director of Technical Education**, Uttar Pradesh
2. The Registrar**,
Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow
3. The Principal / Director,
MANGALMAY INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY
Plot No 8 & 9, Knowledge Park-II, Greater Noida,
Greater Noida, Gautam Buddha Nagar,
Uttar Pradesh, 201310
4. The Secretary / Chairman,
C - 116,
SECTOR - 39, NOIDA
NOIDA, GAUTHAM BUDDHA NAGAR
Uttar Pradesh, 201301
5. The Regional Officer,
All India Council for Technical Education
Govt. Polytechnic Campus
Adjoining Directorate of Technical Education
Vikas Nagar, Kanpur-208 002, Uttar Pradesh
6. Guard File(AICTE)

Note: Validity of the Course details may be verified at <http://www.aicte-india.org/>

** Individual Approval letter copy will not be communicated through Post/Email. However, consolidated list of Approved Institutions(bulk) will be shared through official Email Address to the concerned Authorities mentioned above.

This is a computer generated Statement. No signature Required

नन्द लाल सिंह
पी०सी०एस०
कुलसचिव



डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय
सेक्टर-11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ-226031

दिनांक: 31 अगस्त, 2021

पत्रांक:-ए०के०टी०ए०/सुरा०सा०/स०वि०/2021/13492 (152)

College Code 152

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य,

MANGALMAY INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY, GAUTAM BUDDH NAGAR

Plot No. 8 & 9, Knowledge Park-II, Greater Noida, U.P., Gautam Buddha Nagar

विषय: शैक्षिक सत्र 2021-22 की अस्थायी सम्बद्धता (Provisional Affiliation) के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,
उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का विदेश हुआ है कि अधिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, कार्गैरी काउन्सिल आफ इन्डिया, नई दिल्ली एवं काउन्सिल आफ आर्किटेक्चर, नई दिल्ली (यथा लागू) के द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आपके संस्थान को प्रदान की गयी मान्यता पर विश्वविद्यालय सम्बद्धता समिति/उ०प्र० शासन की सम्बद्धता समिति द्वारा विचारोपरान्त की गई संस्तुतियों एवं इन संस्तुतियों के क्रम में शासन के अनुमोदनोपरान्त विश्वविद्यालय में प्रवर्तित प्रवेश प्रविष्टि विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन ना० कार्यापरिषद से अनुमोदन की प्रत्याप्त में संस्थान को निम्नलिखित विवरण के अनुसार स्वतंत्रता भोक्ति योजना के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अस्थाई सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

Course Name	Branch Name	Shift	Affiliation Intake Applied for	AICTE Sanctioned Intake	COA/PCI Sanctioned Intake	Affiliation Intake Approved
Masters of Business Administration	MBA	Shift I	240	240	0	240

उपरोक्त अस्थायी सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:-

- संस्थान द्वारा अधिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित भूमि, भवन, अयस्क्यापना सुविधाएं वाद्ययंत्र हेतु निर्धारित पठन-पाठन/वाद्ययंत्र, प्रयोगशाला हेतु निर्धारित उपकरण, फर्नीचर अनुपात, शैक्षिक निरोपक तथा मानकानुसार फर्नीचर की न्यूनता को 01 माह के अन्दर पूर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धक का होगा।
- निरीक्षण मण्डल द्वारा अयस्क्यापना सुविधाओं एवं सेवायोजित शिक्षकों के संस्थापन के साथ-साथ संस्थान के लेखा का आडिट भी विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी समय किया जा सकता है।
- बी.फार्म/एम.फार्म./पी.आर.ए./एम.आर.ए. वाद्ययंत्र संचालित करने वाले संस्थानों को कार्गैरी काउन्सिल आफ इन्डिया/काउन्सिल आफ आर्किटेक्चर (यथा लागू) के द्वारा वाद्ययंत्र संचालन हेतु निर्धारित मानकों की पूर्ति एवं संबंधित काउन्सिल से सत्र विशेष हेतु अनुमोदन भी प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। संस्थान द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ण न करने की दशा में एवं अज्ञातता एवं पी.पी.आई./सी.ओ.ए. (यथा लागू) के द्वारा अनुमत्य प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश लेने की दशा में विश्वविद्यालय द्वारा संस्थान को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धक का होगा।
- संस्थान प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन/डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ०प्र० द्वारा प्रवेश/शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्मानुसार अनुमत्य क्षीय की प्रवेशित छात्रों से लेगा। साथ ही, संस्थान शिक्षण-प्रशिक्षण से सम्बन्धित शासन/विश्वविद्यालय द्वारा बांछित सूचना उन्हें समय से उपलब्ध करायेगा। संस्थान द्वारा उपर्युक्त अपेक्षाओं में विफल रहने पर सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
- संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा ऑनलाइन आवेदन के समय भरी गयी सूचनाओं/विवरण तथा सम्बद्धता संबंधी शुल्क न जमा करने तथा सीटों की संख्या में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन/विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।
- विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय के प्रथम विनियम 2010 के अन्वय-6 (सम्बद्धता) में उल्लिखित प्राविधानों का पालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
- संस्थान 30 सितम्बर, 2021 के पूर्व नियामक संस्थाओं द्वारा उसे अनुमत्य प्रवेश क्षमता के सापेक्ष नियामक संस्था के मानकों के अनुरूप अपेक्षित संख्या में, निर्धारित अर्हता धारक शिक्षक एवं निदेशक/प्राचार्य की नियुक्ति पूर्ण कर लेगा। साथ ही, इन शिक्षकों की सूची तथा चयन से सम्बन्धित समस्त अभिलेख विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जायेगा एवं इस आराय का नोटरीज्ड शपथ पत्र देना होगा कि उनके द्वारा नियमानुसार अपेक्षित संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति कर ली गई है। विश्वविद्यालय द्वारा इनके स्वतंत्र स्थापन में कोई त्रुटि, खूट

द्वारा नियमानुसार अपेक्षित संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति कर ली गई है। विश्वविद्यालय द्वारा इनके परामर्श प्राप्तपान में कोई सुटि, बूट रचना/विरामति पायी जाती है तो संस्थान को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त करायी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वतः संस्थान का होगा।

8. कतिपय संस्थानों में प्रवेश क्षमता में अगिपुति/गपीन पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी है कि ऐसे संस्थानों का विश्वविद्यालय द्वारा मानकानुसार, अवस्थापना एवं मानव संसाधन प्रत्यादि सुविधाओं का स्थलीय निरीक्षण काउन्सिलिंग प्रारम्भ होने से पूर्व आवश्यकतानुसार कराया जा सकता है तथा निरीक्षण तल की अनुशंसा के तल में ही सत्र 2021-22 में प्रवेश की कार्यवाही सम्पन्न करायी जा सकेगी।
9. सत्र प्रारम्भ होने के उपरान्त यदि संस्था को निदेशक/प्राचार्य का पद रिक्त होता है तो पद रिक्त होने की तिथि से तीन-माह के अन्दर रिक्त पद पर भयन की कार्यवाही पूर्ण कर नियुक्त कर ली जाय जिसकी सूचना विश्वविद्यालय को अवश्य कराये। (विनियम: 6.16)
10. सत्र 2021-22 के प्रारम्भ होने के पूर्व संस्थान विश्वविद्यालय को कार्यरत शिक्षकों के संबंध में की गयी सूची में उल्लिखित किसी भी शिक्षक को सत्र के दौरान बिना विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति के सेवा से निगल नहीं जा सकेगा।
11. सत्र प्रारम्भ होने के पश्चात् संस्था में कार्यरत शिक्षकों द्वारा संस्था छोडने की रिक्ति में 15 दिन (कार्य दिवस) के अन्दर विश्वविद्यालय को अवश्य सूचित करें। (विनियम: 6.18)
12. शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर स्टाफ के भयन का आहरण निरचित तल से किया जायेगा, अन्यथा की रिक्ति में विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही ली जायेगी। (विनियम: 6.25बी.)
13. लैब एवं उसके उपकरणों की सम्पूर्ण विवरण संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना से भी विश्वविद्यालय को अवगत कराये। (विनियम: 6.13)
14. संस्थान की समस्त सूचनाएं संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना से भी विश्वविद्यालय को अवगत कराये। (विनियम: 6.18)
15. संस्थान द्वारा छात्रों से लिये गये शुल्क की सूचना संस्था द्वारा अपनी वेबसाइट पर तथा संस्था के सूचना पट पर अवश्य भयना की जायेगी। इसकी सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी अन्यथा संस्था के विरुद्ध बंधोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।
16. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की मान्यता समाप्त होने या निरस्त किये जाने या प्रत्याहित करने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
17. फार्मसी तथा आर्किटेक्चर की विधाओं के शिक्षण प्रशिक्षण से सम्बद्ध संस्थाओं को इन विधाओं के समस्त पाठ्यक्रमों हेतु सम्बन्धित व्ययसाम नियानक संगठन फार्मसी काउन्सिल आफ इण्डिया/आर्किटेक्चर काउन्सिल आफ इण्डिया (बधा लागू) से सत्र 2021-22 हेतु मान्यता का अनुमति पत्र, प्रवेश हेतु आहूत की जाने वाली राज्य प्रवेश परीक्षा की काउन्सिलिंग के पूर्व विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा। मान्यता आदेश अप्राप्त रहने की दशा में संस्थाओं को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी। संस्थान मान्यता प्राप्त न होने की दशा में फार्मसी तथा वास्तुकला के समस्त पाठ्यक्रमों में संस्थान सत्र 2021-22 में किसी भी नये छात्र को पाठ्यक्रम विरोध में न तो काउन्सिलिंग और न ही अपने स्तर से सीधे रिक्त सीट या प्रमथकीय सीट पर प्रवेश दे सकेगा। इन परिस्थितियों के लिए संस्थान स्वयं उत्तरदायी होगा।
18. संस्थान का शैक्षिक सत्र के अन्तर्गत किसी भी समय औषक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकता है और उक्त औषक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के सापेक्ष कमियों के दृष्टिगत सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही ली जा सकती है।
19. जिन संस्थानों की अभातिशय एवं विश्वविद्यालय के मानकों के सम्बन्ध में शासन अथवा विश्वविद्यालय स्तर से कोई निरीक्षण अथवा जांच ली जाती है अथवा कोई भोटिस जारी की जाती है तो सम्बन्धित संस्थानों की सम्बद्धता, तद्कार्यवाही के अधीन होगी।
20. संस्थान द्वारा प्रवेश में उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों/अनु० जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों के लिए आर क्षण) अधिनियम, 2006, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश मानकों, एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों से नियमानुसार निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का शुल्क न लिए जाने सम्बन्धित राज्य सरकार के शासनादेश के व्यवस्थाओं का अनुपालन न करने की स्थिति में, सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायगी।
21. विभिन्न संवर्गों के छात्रों हेतु शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों का अनुपालन संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायगा। यदि, संस्थान द्वारा इन आदेशों की अवहेलना की जाती है तो उस स्थिति में उनकी सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायगी।
22. संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि संस्थान में नवप्रवेशित/अध्ययनरत छात्रों से गरी शुल्क लिया जाए जो शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित किया गया हो। अन्य किसी प्रकार का शुल्क/डोनेशन लेने की शिकायत पर विश्वविद्यालय द्वारा संस्था की सम्बद्धता समाप्त करने एवं संस्था को "Black List" करने की कार्यवाही की जायगी।
23. AMS (Academic Monitoring System) के संघ में विश्वविद्यालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या ००००००००/कुस० का०/२०१४/४४१४-२१ दिनांक 11.07.2014 के अनुपालन की अनिवार्यता होगी।
24. विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक एवं परीक्षा संबंधी कार्यों हेतु संस्थान के शिक्षकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को दिये गये दायित्वों का पालन सुनिश्चित करवाना, संस्थान का दायित्व होगा। संस्थान का यह दायित्व होगा कि यह शिक्षक अथवा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को तत्काल ही कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे। कतिपय कारणोंशर यदि ऐसा सम्भव न हो तो संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
25. विगत शैक्षिक सत्र में पाठ्यक्रमों में पंजीकृत छात्रों की न्यून संख्या, मानकानुसार अपेक्षित संख्या में न्यून संख्या में उपलब्ध अई शिक्षकों एवं

पंजीकृत छात्रों के न्यूनतर परीक्षा परिणाम के कारण कतिपय संस्थानों की स्वीकृत प्रवेश क्षमता का एक निश्चित प्रतिशत का सम्बन्धन सत्र 2021-22 हेतु स्थगित रखा गया है। आगामी सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता जारी करने के पूर्व इन्हें पुनर्जीवित करने या संशोधित करने पर विश्वविद्यालय द्वारा समीक्षा की जायेगी।

26. पाठ्यक्रम विशेष में सम्बद्धता की लम्बित क्षमता की गणना सम्बद्धता विवरण की तालिका के सतह 5 या 6 (यथा लागू) को घटा कर प्राप्त की जा सकती है।

27. शासन/विश्वविद्यालय द्वारा कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत जारी निर्देशों या अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को शपथ पत्र दिनांक 10 सितम्बर, 2021 प्रस्तुत किया जाएगा।

उपरोक्त शर्तों के अनुपालन में विफलता अथवा संस्था के औद्योगिक निरीक्षण में किसी प्रकार की कमियां पायी जाने की स्थिति में संस्था की अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धक का होगा।


(मनोज लाल सिंह)
कुलसचिव

दृष्टांकन संख्या व दिनांक: उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, मा० कुलाधिपति/श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश, राजभवन लखनऊ।
2. सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
4. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।

All India Council for Technical Education

(A Statutory body under Ministry of HRD, Govt. of India)

Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi-110070 Website: www.aicte-india.org



APPROVAL PROCESS 2020-21

Extension of Approval (EoA)

F.No. Northern/1-7013704383/2020/EoA

Date: 30-Apr-2020

To,

The Principal Secretary (Tech. Edu.)
Govt. of Uttar Pradesh,
Sachiv Bhawan, Lucknow-226001,
12A, Navin Bhawan,
U.P. Lucknow-226001

Sub: Extension of Approval for the Academic Year 2020-21

Ref: Application of the Institution for Extension of Approval for the Academic Year 2020-21

Sir/Madam,

In terms of the provisions under the All India Council for Technical Education (Grant of Approvals for Technical Institutions) Regulations 2020 notified by the Council vide notification number F.No. AB/AICTE/REG/2020 dated 4th February 2020 and norms standards, procedures and conditions prescribed by the Council from time to time, I am directed to convey the approval to

Permanent Id	1-4048493	Application Id	1-7013704383
Name of the Institute	MANGALMAY INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY	Name of the Society/Trust	MANGALMAY FOUNDATION TRUST
Institute Address	PLOT NO 8 & 9, KNOWLEDGE PARK-II, GREATER NOIDA, GREATER NOIDA, GAUTAM BUDDHA NAGAR, Uttar Pradesh, 201310	Society/Trust Address	C - 116, SECTOR - 39, NOIDA, NOIDA, GAUTHAM BUDDHA NAGAR, 201301
Institute Type	Private-Self Financing	Region	Northern

To conduct following Courses with the intake indicated below for the Academic Year 2020-21

Program	Level	Course	Affiliating Body (University /Body)	Intake Approved for 2019-20	Intake Approved for 2020-21	NRI Approval Status	PIO / FN / Gulf quota/ OCI/ Approval Status
MANAGEMENT	POST GRADUATE	MBA	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	180	180	NA	No
MANAGEMENT	POST GRADUATE	MBA	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	60	60	NA	No

It is mandatory to comply with all the essential requirements as given in APH 2020-21 (Appendix 6)

Important Instructions

1. The State Government/ UT/ Directorate of Technical Education/ Directorate of Medical Education shall ensure that 10% of reservation for Economically Weaker Section (EWS) as per the reservation policy for admission, operational from the Academic year 2020-21 is implemented without affecting the reservation percentages of SC/ ST/ OBC/ General. However, this would not be applicable in the case of Minority Institutions referred to the Clause (1) of Article 30 of Constitution of India. Such Institution shall be permitted to increase in annual permitted strength over a maximum period of two years beginning with the Academic Year 2020-21
2. The Institution offering courses earlier in the Regular Shift, First Shift, Second Shift/Part Time now amalgamated as total intake shall have to fulfil all facilities such as Infrastructure, Faculty and other requirements as per the norms specified in the Approval Process Handbook 2020-21 for the Total Approved Intake. Further, the Institutions Deemed to be Universities/ Institutions having Accreditation/ Autonomy status shall have to maintain the Faculty: Student ratio as specified in the Approval Process Handbook. All such Institutions/ Universities shall have to create the necessary Faculty, Infrastructure and other facilities WITHIN 2 YEARS to fulfil the norms based on the Affidavit submitted to AICTE.
3. In case of any differences in content in this Computer generated Extension of Approval Letter, the content/information as approved by the Executive Council / General Council as available on the record of AICTE shall be final and binding.
4. Strict compliance of Anti-Ragging Regulation: - Approval is subject to strict compliance of provisions made in AICTE Regulation notified vide F. No. 373/Legal/AICTE/2009 dated July 1, 2009 for Prevention and Prohibition of Ragging in Technical Institutions. In case Institution fails to take adequate steps to Prevent Ragging or fails to act in accordance with AICTE Regulation or fails to punish perpetrators or incidents of Ragging, it will be liable to take any action as defined under clause 9(4) of the said Regulation.

Prof. Rajive Kumar
Member Secretary, AICTE

Copy to:

1. The Director Of Technical Education**, Uttar Pradesh
2. The Registrar**,
Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow
3. The Principal / Director,
MANGALMAY INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY
Plot No 8 & 9 , Knowledge Park-II , Greater Noida,
Greater Noida, Gautam Buddha Nagar,
Uttar Pradesh, 201310
4. The Secretary / Chairman,
C - 116,
SECTOR - 39, NOIDA
NOIDA, GAUTHAM BUDDHA NAGAR
,201301
5. The Regional Officer,
All India Council for Technical Education
Govt. Polytechnic Campus
Adjoining Directorate of Technical Education
Vikas Nagar, Kanpur-208 002, Uttar Pradesh
6. Guard File(AICTE)

Note: Validity of the Course details may be verified at <http://www.aicte-india.org/>

** Individual Approval letter copy will not be communicated through Post/Email. However, consolidated list of Approved Institutions(bulk) will be shared through official Email Address to the concerned Authorities mentioned above.

गन्ध लाल सिंह
पी०सी०ए०ए०
कुलसचिव



डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ०प्र०
रोपट्टर-11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ-226031

दिनांक: 24 अगस्त, 2020

पत्रांक-ए०फै०टी०यू०/कुल०सच०/सो०वि०/2020/6090-6792

College Code 162

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य,

MANGALMAI INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY, GAUTAM BUDDH NAGAR

Plot No. 8 & 9, Knowledge Park-II, Greater Noida, U.P., Gautam Buddha Nagar

विषय: शैक्षिक सत्र 2020-21 की अस्थायी सम्मति (Provisional Affiliation) के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि अधिस भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, फार्मसी काउन्सिल आफ इन्डिया, नई दिल्ली एवं काउन्सिल आफ आर्किटेक्चर, नई दिल्ली (यथा लागू) के द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आपके संस्थान को प्रदान की गयी मान्यता पर विश्वविद्यालय सम्मति/उ०प्र० शासन की सम्मति सशिक्षा समिति द्वारा विचारोपरान्त की गई संस्तुतियों एवं इन संस्तुतियों के क्रम में शासन के अनुमोदनोपरान्त विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन मा० कार्यालय से अनुमोदन की प्रत्याशा में संस्थान को निम्नलिखित विवरण के अनुसार स्वयंसेवित पोषित योजना के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अस्थाई सम्मति प्रदान की जाती है।

Course Name	Branch Name	Shift	Affiliation Intake Applied for	AICTE Sanctioned Intake	COA/PCI Sanctioned Intake	Affiliation Intake Approved
Masters of Business Administration	MBA	Shift I	180	240	0	240

उपर्युक्त अस्थायी सम्मति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:-

- संस्थान द्वारा अधिस भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मूनि, भवन, अवस्थापना सुविधाएं पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित परतन-वाहन/पाठ्यघर, प्रयोगशाला हेतु निर्धारित उपकरण, फंक्लरी अनुपात, रेगिमें निरोधक तथा विश्वविद्यालय के निरीक्षक मण्डल द्वारा संस्था के निरीक्षण में दर्शायी गई कमियां/मानकों को पूर्ण कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्मति स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबंधक का होगा।
- निरीक्षण मण्डल द्वारा अवस्थापना सुविधाओं एवं सेवायोजित शिक्षकों के सत्यापन के साथ-साथ संस्थान के लेखा का आडिट भी विश्वविद्यालय द्वारा किये भी समर्थ किया जा सकता है।
- पी.फार्म/एन.फार्म./डी.आर.फ./एन.आर.फ., पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थानों को फार्मसी काउन्सिल आफ इन्डिया/काउन्सिल आफ आर्किटेक्चर (यथा लागू) के द्वारा पाठ्यक्रम संचालन हेतु निर्धारित मानकों की पूर्ति एवं संबंधित काउन्सिल से सत्र विशेष हेतु अनुमोदन भी प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। संस्थान द्वारा निर्धारित मानकों को पूर्ण न करने की दशा में एवं अभावशेष एवं पी.सी.आई./सी.ओ.ए. (यथा लागू) के द्वारा अनुमत्य प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश लेने की दशा में विश्वविद्यालय द्वारा संस्थान को प्रदत्त अस्थाई सम्मति स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबंधक का होगा।
- संस्थान प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन/डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ०प्र० द्वारा प्रवेश/शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा नियमानुसार अनुमत्य क्षमता ही प्रवेशित छात्रों से लेगा। साथ ही, संस्थान शिक्षण-प्रशिक्षण से सम्बन्धित शासन/विश्वविद्यालय द्वारा पंक्ति सूचना उन्हें समय से उपलब्ध करायेगा। संस्थान द्वारा उपर्युक्त अपेक्षाओं में विफल रहने पर सम्मति सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
- संस्था को सम्मति प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा आनसाइन आवेदन के समय भरी गयी सूचनाओं/विवरण तथा सम्मति संबंधी शुल्क न जमा करने तथा सीटों की संख्या में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन/विश्वविद्यालय को संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्मति स्वतः निरस्त समझी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।
- विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय के प्रथम विनियम 2010 के अध्याय-6 (सम्मति) में उल्लिखित प्राविधानों का पालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में सम्मति समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
- संस्थान 10 सितम्बर, 2020 को पूर्व नियामक संस्थाओं द्वारा उरी अनुमत्य प्रवेश क्षमता के सापेक्ष विनामक संस्था के मानकों के अनुसार अपेक्षित संख्या में, निर्धारित अर्हता धारक शिक्षक एवं निदेशक/प्राचार्य की नियुक्ति पूर्ण कर लेगा। साथ ही, इन शिक्षकों की सूची तथा चयन से सम्बन्धित समस्त अभिलेख विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जायेगा एवं इत आशय का नोटलाईव्ड शपथ पत्र देना होगा कि उनके द्वारा नियमानुसार अपेक्षित संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति कर ली गई है। विश्वविद्यालय द्वारा इनके स्वतंत्र सत्यापन में कोई त्रुटि

कूट रचना/अवस्थागत पाया जाता है तो संस्थान को प्रदत्त अस्थायी सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।

8. कतिपय संस्थानों में प्रवेश क्षमता में अभिवृद्धि/नवीन पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी है कि ऐसे संस्थानों का विश्वविद्यालय द्वारा मानकानुसार, अवस्थापना एवं मान्य संसाधन इत्यादि सुविधाओं का स्थलीय निरीक्षण काउंसिलिंग प्रारम्भ होने से पूर्व आवश्यकतानुसार कराया जा सकता है तथा निरीक्षण दल की अनुशंसा के क्रम में ही सत्र 2020-21 में प्रवेश की कार्यवाही सम्पन्न करायी जा सकेगी।
9. सत्र प्रारम्भ होने के उपरान्त यदि संस्था के निदेशक/प्राचार्य का पद रिक्त होता है तो पद रिक्त होने की तिथि से तीन-माह के अन्दर रिक्त पद पर घयन की कार्यवाही पूर्ण कर नियुक्त पार ली जाय जिसकी सूचना विश्वविद्यालय को अवश्य कराये। (विनियम: 6.15)
10. सत्र 2020-21 के प्रारम्भ होने के पूर्व संस्थान विश्वविद्यालय को कार्यरत शिक्षकों के संबंध में दी गयी सूची में उल्लिखित किसी भी शिक्षक को सत्र के दौरान बिना विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति के सेवा से निकाला नहीं जा सकेगा।
11. सत्र प्रारम्भ होने के पश्चात् संस्था ने कार्यरत शिक्षकों द्वारा संस्था छोड़ने की स्थिति में 15 दिन (कार्य दिवस) के अन्दर विश्वविद्यालय को अवश्य सूचित करे। (विनियम: 6.16)
12. शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर स्ट्राफ के वेतन का आहरण नियमित रूप से किया जायेगा, अन्वधा की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। (विनियम: 8.25बी.)
13. लैब एवं उसके उपकरणों की सम्पूर्ण विवरण संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना से भी विश्वविद्यालय को अवगत कराये। (विनियम: 6.13)
14. संस्थान की समस्त सूचनाएं संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना से भी विश्वविद्यालय को अवगत कराये। (विनियम: 8.16)
15. संस्थान द्वारा छात्रों से लिये गये शुल्क की सूचना संस्था द्वारा अपनी वेबसाइट पर तथा संस्था के सूचना पट पर अवश्य चरपा की जायेगी। इसकी सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी अन्वधा संस्था के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।
16. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की मान्यता समाप्त होने या निरस्त किये जाने या प्रत्याहित करने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
17. फार्मसी तथा आर्किटेक्चर की विधाओं के शिक्षण प्रशिक्षण से सम्बद्ध संस्थाओं को इन विधाओं के समस्त पाठ्यक्रमों हेतु सम्बन्धित व्यवसाय नियामक संगठन फार्मसी काउंसिल आफ इन्डिया/आर्किटेक्चर काउंसिल आफ इन्डिया (यथा लागू) से सत्र 2020-21 हेतु मान्यता का अनुमति पत्र, प्रवेश हेतु आहूत की जाने वाली राज्य प्रवेश परीक्षा की काउंसिलिंग के पूर्व विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा। मान्यता आदेश अप्राप्त रहने की दशा में संस्थाओं को प्रदत्त अस्थायी सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी। संस्थान मान्यता प्राप्त न होने की दशा में फार्मसी तथा वास्तुकला के समस्त पाठ्यक्रमों में संस्थान सत्र 2020-21 में किसी भी नये छात्र को पाठ्यक्रम विशेष में न तो फाउंडेशन और न ही अपने स्तर से सीधे रिक्त सीट या प्रत्येकीय सीट पर प्रवेश दे सकेगा। इन परिस्थितियों के लिए संस्थान स्वयं उत्तरदायी होगा।
18. संस्थान का शैक्षिक सत्र के अन्तर्गत किसी भी समय औपिक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकता है और उचित औपिक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के सामेक्ष कमियों के दृष्टिगत सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।
19. जिन संस्थानों की अभातरिष एवं विश्वविद्यालय के मानकों के सम्बन्ध में शासन अथवा विश्वविद्यालय स्तर से कोई निरीक्षण अथवा जांच की जाती है अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है तो सम्बन्धित संस्थानों की सम्बद्धता, तद्कार्यवाही के अधीन होगी।
20. संस्थान द्वारा प्रवेश में उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों/अनु० जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2006, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश मानकों, एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों से नियमानुसार निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का शुल्क न लिए जाने सम्बन्धित राज्य सरकार के शासनआदेश के ध्ववस्थाओं का अनुपालन न करने की स्थिति में, सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
21. विभिन्न संघर्षों के छात्रों हेतु शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनआदेशों/आदेशों का अनुपालन संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि, संस्थान द्वारा इन आदेशों की अवहेलना की जाती है तो उस स्थिति में उनकी सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
22. संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि संस्थान में नवप्रवेशित/अध्ययनरत छात्रों से यही शुल्क लिया जाए जो शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित किया गया हो। अन्य किसी प्रकार का शुल्क/डोनेशन लेने की शिकनयत पर विश्वविद्यालय द्वारा संस्था की सम्बद्धता समाप्त करने एवं संस्था को "Black List" करने की कार्यवाही की जायेगी।
23. AMS (Academic Monitoring System) के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या उ०प्र०प्रा०वि०/कुस० फा०/2014/4414-21 दिनांक 11.07.2014 के अनुपालन की अनिवार्यता होगी।
24. विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक एवं परीक्षा संबंधी कार्यों हेतु संस्थान के शिक्षकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को दिये गये दायित्वों का पालन सुनिश्चित करवाना, संस्थान का दायित्व होगा। संस्थान का यह दायित्व होगा कि वह शिक्षक अथवा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को तत्काल ही कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेगा। कतिपय कारणोंवश यदि ऐसा सम्भव न हो तो संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
25. विगत शैक्षिक सत्र में पाठ्यक्रमों में वंजीकृत छात्रों की न्यून संख्या, मानकानुसार अपेक्षित संख्या में न्यून संख्या में उपलब्ध आई शिक्षकों एवं वंजीकृत छात्रों के न्यूनतर परीक्षा परिणाम के कारण कतिपय संस्थानों की स्वीकृत प्रवेश क्षमता का एक निश्चित प्रतिशत का सम्बद्धन सत्र 2020-21 हेतु स्थगित रखा गया है। आगामी सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता जारी करने के पूर्व इन्हे पूर्णपूजित करने का संतोषित करने पर

अभियोगद्वारा समाप्ति का जायजा।

26. पाठ्यक्रम विरोध में सम्बद्धता की लम्बित क्षमता की गणना सम्बद्धता विवरण की तालिका के स्तंभ 5 या 6 (यथा लागू) को घटा कर प्राप्त की जा सकती है।
27. शासन/विश्वविद्यालय द्वारा कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को शपथ पत्र दिनांक 10 सितम्बर, 2020 प्रस्तुत किया जाएगा।

उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में विद्यार्थी अथवा संस्था के अधिक निरीक्षण में किसी प्रकार की कमियाँ पायी जाने की स्थिति में संस्था की अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धक का होगा।


(मन्द सिंह)
मुख्य अधिकारी

दृष्टांकन संख्या व दिनांक: उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अवर मुख्य सचिव, माओ कुलाधिपति/श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश, राजभवन लखनऊ।
2. अवर मुख्य सचिव, प्राथमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
4. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. मार्ट फाइल।

All India Council for Technical Education

(A Statutory body under Ministry of HRD, Govt. of India)

Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi-110070 Website: www.aicte-india.org



APPROVAL PROCESS 2019-20

Extension of Approval (EoA)

F.No. Northern/1-4260554944/2019/EOA

Date: 10-Apr-2019

To,

The Principal Secretary (Tech. Edu.)
Govt. of Uttar Pradesh,
Sachiv Bhawan, Lucknow-226001,
12A, Navin Bhawan,
U.P. Lucknow-226001

Sub: Extension of Approval for the Academic Year 2019-20

Ref: Application of the Institution for Extension of approval for the Academic Year 2019-20

Sir/Madam,

In terms of the provisions under the All India Council for Technical Education (Grant of Approvals for Technical Institutions) Regulations 2018 notified by the Council vide notification number F.No.AB/AICTE/REG/2018 dated 31/12/2018 and norms standards, procedures and conditions prescribed by the Council from time to time, I am directed to convey the approval to

Permanent Id	1-4048493	Application Id	1-4260554944
Name of the Institute	MANGALMAY INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY	Name of the Society/Trust	MANGALMAY FOUNDATION TRUST
Institute Address	PLOT NO 8 & 9, KNOWLEDGE PARK-II, GREATER NOIDA, GREATER NOIDA, GAUTAM BUDDHA NAGAR, Uttar Pradesh, 201310	Society/Trust Address	C - 116, SECTOR - 39, NOIDA, NOIDA, GAUTAM BUDDHA NAGAR, Uttar Pradesh, 201301
Institute Type	Unaided - Private	Region	Northern

Opted for Change from Women to Co-Ed and vice versa	No	Change from Women to Co-Ed and vice versa Approved or Not	NA
Opted for Change of Name	No	Change of Name Approved or Not	NA
Opted for Change of Site/Location	No	Change of Site/Location Approved or Not	NA
Opted for Conversion from Degree to Diploma or vice versa	No	Conversion for Degree to Diploma or vice versa Approved or Not	NA
Opted for Organization Name Change	No	Change of Organization Name Approved or Not	NA
Opted for Merger of Institution	No	Merger of Institution Approved or Not	NA
Opted for Introduction of New Program/Level	No	Introduction of Program/Level Approved or Not	NA

To conduct following Courses with the Intake indicated below for the Academic Year 2019-20

Program	Shift	Level	Course	FT/PT+	Affiliating Body (Univ/Body)	Intake Approved for 2019-20	NRI Approval Status	PIO / FN / Gulf quota / OCI Approval Status
Management	1st	Post Graduate	Masters In Business Administration	FT	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	180	NA	NA
Management	2nd	Post Graduate	Masters In Business	FT	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	120	NA	NA

Application No:1-4260554944

Note: This is a Computer generated Report. No signature is required.

Printed By : aa1730317

		Administration		Prabodh, Lucknow			
--	--	----------------	--	------------------	--	--	--

*FT - Full Time, PT-Part Time

In case of any differences in content in this Computer generated Extension of Approval Letter, the content/information as approved by the Executive Council / General Council as available on the record of AICTE shall be final and binding.

Strict compliance of Anti-Ragging Regulation: - Approval is subject to strict compliance of provisions made in AICTE Regulation notified vide F. No. 37-3/Legal/AICTE/2009 dated July 1, 2009 for Prevention and Prohibition of Ragging in Technical Institutions. In case Institution fails to take adequate steps to Prevent Ragging or fails to act in accordance with AICTE Regulation or fails to punish perpetrators or incidents of Ragging, it will be liable to take any action as defined under clause 0(4) of the said Regulation.

It is mandatory to comply all the essential requirements as given in APII 2010-20(appendix 6)

NOTE: If the State Government / UT / DTE / DME has a reservation policy for admission in Technical Education Institutes and the same is applicable to Private & Self-financing Technical Institutions, then the State Government / UT/ DTE / DME shall ensure that 10 % of Reservation for EWS would be operational from the Academic year 2019-20 without affecting the percentage reservations of SC/ST/OBC/General . However, this would not be applicable in the case of Minority Institutions referred to the clause (1) of Article 30 of Constitution of India.

Prof. A.P Mital
Member Secretary, AICTE

Copy to:

1. The Director Of Technical Education**, Uttar Pradesh
2. The Registrar**,
Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow
3. The Principal / Director,
Mangalmai Institute Of Management & Technology
Plot No 8 & 9 , Knowledge Park-II , Greater Noida,
Greater Noida, Gautam Buddha Nagar,
Uttar Pradesh, 201310
4. The Secretary / Chairman,
Mangalmai Foundation Trust
C - 118,
Sector - 39, Noida,
Noida, Gautam Buddha Nagar,
Uttar Pradesh, 201301
5. The Regional Officer,
All India Council for Technical Education
Govt. Polytechnic Campus
Adjoining Directorate of Technical Education
Vikas Nagar, Kanpur-208 002, Uttar Pradesh
6. Guard File(AICTE)

Note: Validity of the Course details may be verified at <http://www.aicte-india.org/>

** Individual Approval letter copy will not be communicated through Post/Email. However, consolidated list of Approved Institutions(bulk) will be shared through official Email Address to the concerned Authorities mentioned above.

नन्द लाल सिंह
पी०सी०एच०
कुलसचिव



डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ०प्र०
सेक्टर-11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ-226031

दिनांक: 15 मई, 2019

पत्रांक-ए०से०टी०यू०/सुसा०एम०/सावि०/2019/1004/152

College Code 152

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य,

Mangalmai Institute of Management And Technology, Gautam Buddha Nagar

Plot No. 8 & 9, Knowledge Park-II, Greater Noida, U.P., Gautam Buddha Nagar

विषय: सैद्धिक सत्र 2019-20 की अस्थापी सम्बद्धता (Provisional Affiliation) के सम्बन्ध में।

सहायक/सहायिका,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे सह सूचित करने का निदेश हुआ है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के द्वारा सत्र 2019-20 हेतु आपके संस्थान को प्रदान की गयी मान्यता एवं विश्वविद्यालय सम्बद्धता समिति/उ०प्र० शासन की सम्बद्धता समीक्षा समिति द्वारा विचारोपदान की गई संस्तुतियों एवं इन संस्तुतियों के प्राप्ति में निर्गत शासनादेश संख्या 1528/सोलट-1-2019-13(1)/2018 दिनांक 15.05.2019 के अनुसार, विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन मा० कार्यपरिचय के अनुमोदन की प्रस्तावना में संस्थान को निम्नांकित विवरण के अनुसार स्वीकृति प्रेषित योजना के अन्तर्गत सैद्धिक सत्र 2019-20 हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अस्थापी सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

Course Name	Branch Name	Shift	Affiliation Intake Applied for	AICTE Sanctioned Intake	COA/PCI Sanctioned Intake	Affiliation Intake Approved
MBA	MBA	Shift I	180	180		180
MBA	MBA	Shift II	120	60		60

उपरोक्त अस्थापी सम्बद्धता निम्नांकित शर्तों के अधीन है:-

- संस्थान द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित भूमि, मकान, अवस्थापना सुविधाएं, माध्यमिक हेतु निर्धारित पठन-घर/माध्यमिक, परीक्षाशाला हेतु निर्धारित उपकरण, कैंकटी अनुपात, रैमिंग निरोधक तथा विश्वविद्यालय के निरीक्षक कर्मचारी द्वारा संस्था के निरीक्षण में परतंगी गई कार्यों/मामलों को पूर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में संस्था को प्रदत्त अस्थापी सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धक का होगा।
- निरीक्षण कर्मचारी द्वारा अवस्थापना सुविधाओं एवं सेवायोजित शिक्षकों के सत्यापन के साथ-साथ संस्थान के सेवा का आडिट भी विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी समय किया जा सकता है।
- बी.कार्य/एच.कार्य/पी.आर.कार्य/एच.आर.कार्य, माध्यमिक संघटित करने वाले संस्थानों को कार्नेसी काउंसिल अथ इन्डिया/काउंसिल अथ आर्किटेक्चर (यथा लागू) के द्वारा माध्यमिक संघटन हेतु निर्धारित मानकों की पूर्ति एवं संबंधित काउंसिल से सत्र विशेष हेतु अनुमोदन भी प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। संस्थान द्वारा निर्धारित मानकों को पूर्ण न करने की दशा में एवं अभावविम एवं पी.सी.आई./सी.सी.ए. (यथा लागू) के द्वारा अनुमत्य प्रदेश क्षमता से अधिक प्रवेश लेने की दशा में विश्वविद्यालय द्वारा संस्थान को प्रदत्त अस्थापी सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धक का होगा।
- संस्थान प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन/डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ०प्र० द्वारा प्रवेश/शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा शुरू निर्धारण समिति द्वारा नियमानुसार अनुमत्य सीमा ही प्रवेशित छात्रों से लेना। साथ ही, संस्थान विभाग-प्रशिक्षण से सम्बन्धित शासन/विश्वविद्यालय द्वारा वांछित सूचना उन्हें समय से उपलब्ध करावेगा। संस्थान द्वारा उपरोक्त अस्थापी में विकल रहने पर सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को रद्द करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
- संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा आगलाइन आवेदन के समय भरी गयी सूचनाओं/विवरण तथा सम्बद्धता संबंधी शुल्क न जमा करने तथा सीटों की संख्या में किसी भी प्रकार की सुटि शासन/विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त अस्थापी सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।
- विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय के प्रथम विनियम 2010 के अध्याय-6 (सम्बद्धता) में उल्लिखित प्राविधानों का पालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
- संस्थान 10 जून, 2019 को पूर्व नियामक संस्थाओं द्वारा उल्लेखित प्रवेश क्षमता के सापेक्ष नियामक संस्था के मानकों के अनुरूप अपेक्षित संख्या में, निर्धारित अर्हता धारक शिक्षक एवं निदेशक/प्राचार्य की नियुक्ति पूर्ण कर लेना। साथ ही, इन शिक्षकों की सूची तथा कथन से सम्बन्धित समस्त अनिलेख विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जायेगा एवं इस आशय का नोटराईज्ड शपथ पत्र देना होगा कि उनकी द्वारा नियमानुसार अपेक्षित संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति कर ली गई है। विश्वविद्यालय द्वारा इनकी स्वतंत्र सत्यापन में कोई सुटि, कूटप्रथा/

[Handwritten signature]

वित्तगति धामी जाती है तो संस्थान को प्रगत अवस्थानी सम्बन्धित स्वतः निरस्त सामग्री धामीनी विद्यमान सम्पूर्ण अंतरदायित स्वतः संस्थान का होना।

6. कतिपय संस्थानों में प्रवेश क्षमता में अतिवृद्धि/पतनीय पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की सुविधि इस शर्त को धारा प्रदान की गयी है कि वे संस्थानों का विश्वविद्यालय द्वारा मानकानुसार, अंतरदायित एवं मान्य संस्थान प्रगति सुविधाओं का राष्ट्रीय विधीयन मान्यविधि प्रदान होने से पूर्व आदेशकानुसार करवाया जा सकता है तथा विधीयन वस की अनुश्रवणा के रूप में ही सत्र 2019-20 में प्रवेश की कार्यवाही सम्पन्न करायी जा सकेगी।
9. सत्र प्रारम्भ होने से पत्रवाच्य यदि संस्था को विदेशक/प्रधान्य का पत्र रिक्त होता है तो पत्र रिक्त होने की तिथि से तीन-माह से अन्तर रिक्त पत्र पर धमन की कार्यवाही पूर्ण कर विमुक्त कर ही स्वतः विद्यार्थी सूचना विश्वविद्यालय को अवश्य कराये। (विधिधमः 0.10)
10. सत्र 2019-20 को प्रारम्भ होने से पूर्व संस्थान विश्वविद्यालय को कार्यरत शिक्षकों को संबंध में की गयी सूची में परिचित किती भी शिक्षा को सत्र से धीरान विना विश्वविद्यालय की सिधित अनुगति को सेवा से विधायत गयीं या शक्य।
11. सत्र प्रारम्भ होने से पत्रवाच्य संस्था में कार्यरत शिक्षकों द्वारा संस्था छोडने की रिधति में 15 दिन (कार्य दिवस) से अन्तर विश्वविद्यालय को अवश्य सूचित करे। (विधिधमः 0.10)
12. शैक्षिक एवं शिक्षासेवा रक्षा के धेधन का आश्रय निधित रूप से किता धामेया, अथवा की रिधति में विश्वविद्यालय द्वारा निधनानुसार कार्यवाही की जायेगी। (विधिधमः 0.20धी.)
13. शैक्ष एवं उसके उपकरणों की सम्पूर्ण विवरण संस्था से सूचना पत्र, वेधसाधक पर प्रदर्शित होने खादिए एवं इसकी सूचना से भी विश्वविद्यालय को अवगत कराये। (विधिधमः 0.13)
14. संस्थान की समस्त सूचनाएं संस्था को सूचना पत्र, वेधसाधक पर प्रदर्शित होने खादिए एवं इसकी सूचना से भी विश्वविद्यालय को अवगत कराये। (विधिधमः 0.10)
15. संस्थान द्वारा छात्रों से किये गये सुलक की सूचना संस्था द्वारा अपनी वेधसाधक पर तथा संस्था से सूचना पत्र पर अवश्य धरवा की जायेगी। इसकी सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी अथवा संस्था से विश्व्व सम्बन्धित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।
16. अधित भारतीय तकनीकी शिक्षा धरिधन की मान्यता समाप्त होने या निरस्त किये जाने या प्रस्ताधित धरने की गत्रा में सम्बन्धता का यह अनुनोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
17. धार्मिकी तथा आर्थिडेधर की विधाओं के शिक्षण प्रविधान से सम्बन्ध संस्थाओं को धन विधाओं को समस्त पाठ्यक्रमों हेतु सम्बन्धित धरवाय निधनक संगठन कार्यवाही कर्तवित आक दृधिका/आर्थिडेधर कर्तवित आक दृधिका (यथा सानु) से सत्र 2019-20 हेतु सम्बन्धता का अनुकति पत्र, प्रवेश हेतु आदुता की जाने वाली सत्रक प्रवेश परीक्षा की कर्तविसिधि को पूर्व विश्वविद्यालय को अधिधाम्य रूप से उपलब्ध कराया होना। मान्यता आदेश अधाध रहने की दशा में संस्थाओं को प्रगत अथवाई सम्बन्धता स्वतः निरस्त सगती जायेगी। संस्थान मान्यता समाप्त होने की दशा में धार्मिकी तथा धारतुकरता को समस्त पाठ्यक्रमों में संस्थान सत्र 2019-20 में किती भी गये छात्र को पाठ्यक्रम विरोध में न तो कर्तविसिधि और न ही अपने स्तर से शीधे रिक्त शीठ या प्रगन्धतीय शीठ पर प्रवेश दे सकेगा। धन धरिधितधियों के लिए संस्थान स्वयं अन्तरदायी होना।
18. संस्थान का शैक्षिक सत्र के अन्तर्गत किती भी सम्य औषक विधीयन विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकता है और उपत औधवा विधीयन में निर्धारित मानकों के खाधेश धधियों के दृधितगत सम्बन्धता समाप्त धरने की कार्यवाही की जा सकती है।
19. धिन संस्थानों की अन्तर्धिन एवं विश्वविद्यालय को मानकों के सम्बन्ध में शासन अधधा विश्वविद्यालय स्तर से कोर्धु विधीयन अधधा धार्म की जाती है अधधा कोर्धु नोदिस जाती की जाती है तो सम्बन्धित संस्थानों की सम्बन्धता, धरकार्यवाही से अधीन होगी।
20. संस्थान द्वारा प्रवेश में उपतर प्रवेश शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूधित जाधियों/अनुसूधित धानजाधियों और अन्य विधधे धनों के लिए आशानु) अधिधमः, 2008, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश मानकों एवं अनुसूधित धाधि/धानजाधि को छात्रों से निधनानुसार निर्धारित सुलक के अधिरिधत किती अन्य प्रकार का सुलक न लिए जाने सम्बन्धित सत्रक सरकार के शासनादेश के धरधरधियों का अनुपालन न धरने की रिधति में सम्बन्धता समाप्त धरने की कार्यवाही की जायेगी।
21. विधिन संधर्गों के छात्रों हेतु सुलक धरिधुधि के सम्बन्ध में शासन/विश्वविद्यालय द्वारा सम्य-सम्य पर निर्धत शासनधेशों/आदेशों का अनुकलन संस्थान द्वारा सुनिधित किया जायेगा। यदि संस्थान द्वारा इन आदेशों की अधहेसना की जाती है तो धन रिधति में धनगी सम्बन्धता समाप्त धरने की कार्यवाही की जायेगी।
22. संस्थान द्वारा यह सुनिधित किया जाए कि संस्थान में नवप्रधेधित/अधधधनरत छात्रों से वही सुलक शिमा धारए जो सुलक निर्धारण धधिति द्वारा निर्धारित किया गया हो। अन्य किती प्रकार का सुलक/धोनेशन लेने की शिकायत पर विश्वविद्यालय द्वारा संस्था की सम्बन्धता समाप्त धरने एवं संस्था को "Black List" धरने की कार्यवाही की जायेगी।
23. AMS (Academic Monitoring System) के संधध में विश्वविद्यालय द्वारा जारी धरिधन संधधा 09092010/सुलक धानु/2014/4414-21 दिनांक 11.07.2014 के अनुपालन की अधिधाम्यता होगी।
24. विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षिक एवं परीक्षा संधधी कार्य हेतु संस्थान के शिक्षकों एवं शिक्षासेवा कर्धधधियों को दिये गये धधियों का धानन सुनिधित धरवायन, संस्थान का धधिव्य होना। संस्थान का यह धधिव्य होगा कि यह शिक्षक अधधा शिक्षासेवा कर्धधधियों को सत्रकत ही कर्धधधुधत धरना सुनिधित धरने। कतिपय धरधधधेश यदि ऐसा सम्भ्य न हो तो संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय से अनुनोदन प्राध किया जाना आवश्यक होगा।
25. धिगत शैक्षिक सत्र में पाठ्यक्रमों में धधधधुधत छात्रों की न्यून संधध, धानकानुसार अधेधित संधधा में न्यून संधधा में उपलब्ध आई शिक्षकों एवं धधधधुधत छात्रों के न्यूनतर परीक्षा धरिधान के कारण कतिपय संस्थानों की स्वीधुधत प्रवेश क्षमता का एक धिधित धरिधन का सम्बन्ध सत्र 2019-20 हेतु स्थधित रधा गया है। आधानी सत्र 2020-21 हेतु सम्बन्धता जारी धरने से पूर्व धधे धुधधधित धरने या संशेधित धरने पर

[Handwritten signature]

विश्वविद्यालय द्वारा सवीक्षा की जायेगी।

26. वात्सल्य विशेष में सम्बद्धता की लम्बित क्षमता की गणना सम्बद्धता विवरण की तालिका के स्तम्भ 6 या 6 (क्या जाग) में स्तम्भ 7 के मूल्य को घटा कर प्राप्त की जा सकती है।

उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में विधत्तन अधिका संस्था को अधिक निरीक्षण में किसी प्रकार की कठिनाई पायी जाने की स्थिति में संस्था की अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धक का होगा।

Kiss


(मनो लाल सिंह)
कुलसचिव

पुष्पकान संख्या व दिनांक: उपरोक्त

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. गवर मुख्यसचिव, माओ कुलाधिपति/श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश, राजभवन लखनऊ।
2. सचिव, प्राथमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष, अखिल भारतीय सपनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
4. निर्देशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।

All India Council for Technical Education

(A Statutory body under Ministry of HRD, Govt. of India)
Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi-110070 Website: www.aicte-india.org



APPROVAL PROCESS 2018-19

Extension of Approval (EoA)

Date: 04-Apr-2018

F.No. Northern/1-3511925174/2018/EOA

To,

The Principal Secretary (Tech. Edu.)
Govt. of Uttar Pradesh,
Sachiv Bhawan, Lucknow-226001,
12A, Navin Bhawan,
U.P. Lucknow-226001

Sub: Extension of Approval for the Academic Year 2018-19

Ref: Application of the Institution for Extension of approval for the Academic Year 2018-19

Sir/Madam,

In terms of the provisions under the All India Council for Technical Education (Grant of Approvals for Technical Institutions) Regulations 2016 notified by the Council vide notification number F.No.AB/AICTE/REG/2016 dated 30/11/2016 and amended on December 5, 2017 and norms standards, procedures and conditions prescribed by the Council from time to time, I am directed to convey the approval to

Permanent Id	1-4048493	Application Id	1-3511925174
Name of the Institute	MANGALMAY INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY	Name of the Society/Trust	MANGALMAY FOUNDATION TRUST
Institute Address	PLOT NO 8 & 9 , KNOWLEDGE PARK-II , GREATER NOIDA, GREATER NOIDA, GAUTAM BUDDHA NAGAR, Uttar Pradesh, 201310	Society/Trust Address	C - 116, SECTOR - 38, NOIDA, NOIDA, GAUTHAM BUDDHA NAGAR, Uttar Pradesh, 201301
Institute Type	Unaided - Private	Region	Northern

Opted for Change from Women to Co-Ed and vice versa	No	Change from Women to Co-Ed and vice versa Approved or Not	NA
Opted for Change of Name	No	Change of Name Approved or Not	NA
Opted for Change of Site	No	Change of Site Approved or Not	NA
Opted for Conversion from Degree to Diploma or vice versa	No	Conversion for Degree to Diploma or vice versa Approved or Not	NA
Opted for Organization Name Change	No	Change of Organization Name Approved or Not	NA

To conduct following Courses with the Intake indicated below for the Academic Year 2018-19

Program	Shift	Level	Course	FT/PT+	Affiliating Body (Univ/Body)	Intake Approved for 2018-19	NRI Approval Status	PIO / FN / Gulf quota/ OCJ Approval Status	Foreign Collaboration / Twinning Program Approval Status*
MANAGEMENT	1st	POST GRADUATE	MASTERS IN BUSINESS ADMINISTRATION	FT	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	180	NA	NA	NA
MANAGEMENT	2nd	POST GRADUATE	MASTERS IN BUSINESS ADMINISTRATION	FT	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	120	NA	NA	NA

+FT - Full Time, PT-Part Time

In case of any differences in content in this Computer generated Extension of Approval Letter, the content/information as approved by the Executive Council / General Council as available on the record of AICTE shall be final and binding.

Strict compliance of Anti-Ragging Regulation: - Approval is subject to strict compliance of provisions made in AICTE Regulation notified vide F. No. 37-3/lega/AICTE/2008 dated July 1, 2008 for Prevention and Prohibition of Ragging in Technical Institutions. In case institution fails to take adequate steps to prevent Ragging or fails to act in accordance with AICTE Regulation or fails to punish perpetrators or incidents of Ragging, it will be liable to take any action as defined under clause D(4) of the said Regulation.

Prof. A.P Mittal
Member Secretary, AICTE

Copy to:

1. The Regional Officer,
All India Council for Technical Education
Govt. Polytechnic Campus
Adjoining Directorate of Technical Education
Vikas Nagar, Kanpur-208 002, Uttar Pradesh
2. The Director Of Technical Education**,
Uttar Pradesh
3. The Registrar**,
Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow
4. The Principal / Director,
MANGALMAY INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY
PLOT NO 8 & 9 , KNOWLEDGE PARK-II , GREATER NOIDA,
GREATER NOIDA, GAUTAM BUDDHA NAGAR,
Uttar Pradesh, 201310
5. The Secretary / Chairman,
MANGALMAY FOUNDATION TRUST
C - 116,
SECTOR - 39, NOIDA,
NOIDA, GAUTAM BUDDHA NAGAR,
Uttar Pradesh, 201301
6. Guard File(AICTE)

Note: Validity of the Course details may be verified at <http://www.aicte-india.org/>

** Individual Approval letter copy will not be communicated through Post/Email. However, consolidated list of Approved institutions(bulk) will be shared through official Email Address to the concerned Authorities mentioned above.

ओम प्रकाश राय
आईओएमएल
मुख्य सचिव



डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय ए०प्र०
सेक्टर-11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ-228031

दिनांक: 15.05.2018

पत्रांक-ए०के०टी०एम०/कु०रा०का०/रा०वि०/2018/10139/(152)

College Code 152

सेवा में,
निदेशक/प्राचार्य,

Mangalmai Institute of Management And Technology, Gautam Buddha Nagar
Plot No. 9, Knowledge Park-II, Greater Noida

विषय: शैक्षिक सत्र 2018-19 की अस्थायी सम्बद्धता (Provisional Affiliation) के सम्बन्ध में।
महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के द्वारा सत्र 2018-19 हेतु आपके संस्थान को प्रदान की गयी मान्यता के आधार पर विश्वविद्यालय सम्बद्धता समिति/ए०प्र० शासन की सम्बद्धता समिति द्वारा विश्वविद्यालय की गई संस्तुतियों एवं इन संस्तुतियों के प्रत्येक निर्गत शासनादेश संख्या 2012/संलग्न-1-2018-13(1)/2018 दिनांक 15.05.2018 की अपेक्षानुसार, विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन ए०के०टी०एम० से अनुमोदन की प्रत्याशा में, संस्थान को निम्नानुसार ज्ञापक प्रवेश क्षमता के साथ,

Course Name	Branch Name	Shift	Affiliation Intake Applied for	AICTE Approved Intake	COA/PCI Intake	Affiliation Intake Approved
MBA	MBA	Shift I	180	180	0	180
MBA	MBA	Shift II	120	120	0	120

स्वीकृत घोषित योजना के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु विश्वविद्यालय के द्वारा अस्थाई सम्बद्धता की सहमति स्वीकृति प्रदान की जाती है।
उपरोक्त अस्थायी सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:-

- संस्थान द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मूनी, भवन, अवस्थापना सुविधाएं पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित सहन-काठन/पाठ्यक्रम, प्रयोगशाला हेतु निर्धारित उपकरण, फेकल्टी अनुपात, रैकिंग नियंत्रक तथा विश्वविद्यालय के निरीक्षक मण्डल द्वारा संस्था के निरीक्षण में दर्शायी गई कमियों/गणकों को पूर्ण कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धक का होगा।
- निरीक्षण मण्डल द्वारा उपस्थापना सुविधाओं एवं शवायोजित शिक्षकों के स्थापन के साथ-साथ संस्थान के लेखा का ऑडिट भी विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी समय किया जा सकता है।
- बी.फार्म/एन.फार्म/बी.आर.फार्म/एन.आर.फार्म, पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थानों को फार्मों की कारकिल आर इम्प्लिया एवं कारकिल आर ऑडिटेडकर के द्वारा पाठ्यक्रम संचालन हेतु निर्धारित गणकों की पूर्ति एवं संशोधित कारकिल से सत्र विरोध हेतु अनुमोदन को प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। संस्थान द्वारा निर्धारित गणकों को पूर्ण न करने की दशा में एवं अनसह्य एवं पी.सी.आर/सी.ओ.ए. (पन्ना लागू) के द्वारा अनुमोदन प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश लेने की दशा में विश्वविद्यालय के द्वारा संस्थान को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धक का होगा।
- संस्थान प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन/डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय ए०प्र० द्वारा प्रवेश/शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये दिश-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निम्नानुसार अनुमोदन प्राप्त हो प्रवेशित छात्रों से लेगा। साथ ही, संस्थान शिक्षण-प्रशिक्षण से सम्बन्धित शासन/विश्वविद्यालय द्वारा वार्षिक सूचना उन्हें समय से उपलब्ध करायेगा। संस्थान द्वारा उपरोक्त अपेक्षाओं में विफल रहने पर सम्बद्धता सम्बन्धी विरोधाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
- संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा आनलाइन आवेदन के समय नहीं गयी सूचनाओं/दिवरण तथा सम्बद्धता संबंधी शुल्क न जमा करने तथा सीटों की संख्या में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन/विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।
- विश्वविद्यालय में प्रवर्तित ए०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय के प्रथम विनियम 2010 के क्लॉज-8 (सम्बद्धता) में उल्लिखित प्रावधानों का पालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
- संस्थान 01 अगस्त, 2018 के पूर्व नियामक संस्थाओं द्वारा उक्त अनुमोदन प्रवेश क्षमता के साफल्य नियामक संस्था के मानकों के अनुरूप अपेक्षित संख्या में, निर्धारित अर्हता धारक शिक्षक एवं निदेशक/प्राचार्य को नियुक्ति पूर्ण कर लेगा। साथ ही, इन शिक्षकों की सूची तथा भवन से सम्बन्धित समस्त अधिलेख विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जायेगा एवं इस आशय का नोटसाईज्ड शपथ पत्र देना होगा कि उनके द्वारा निम्नानुसार अपेक्षित संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति कर ली गई है। विश्वविद्यालय द्वारा इनके स्वतंत्र स्थापन में कोई त्रुटि, सुट्टरमना/वितर्कता पायी जाती है तो संस्थान को प्रदत्त अस्थायी सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।
- सत्र प्रारम्भ होने के उपरान्त यदि संस्था के निदेशक/प्राचार्य का पद रिक्त होता है तो पद रिक्त होने के दिनांक तिथि से तीन-माह के अन्दर रिक्त पद पर भवन की कार्यवाही पूर्ण कर नियुक्ति कर ली जाय जिसकी सूचना विश्वविद्यालय को अवश्य कार्याये। (विनियम 6.15)
- सत्र 2018-19 के प्रारम्भ होने के पूर्व संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय को कार्यरत शिक्षकों के संबंध में दी गयी सूची में उल्लिखित किसी भी शिक्षक

को सत्र के दौरान बिना विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति के, सेवा से निकाला नहीं जा सकेगा।

10. सत्र प्रारम्भ होने के पश्चात् संस्था में कार्यरत शिक्षकों द्वारा संस्था छोड़ने की स्थिति में 15 दिन (कार्य दिवस) को अन्दर विश्वविद्यालय को अवरय सूचित करें। (विनियम: 6.18)

11. शैक्षिक एवं शिष्टाचार स्टाफ के वेतन का आडरबुक नियमित रूप से किन्ना जायेगा, अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। (विनियम: 6.25बी)

12. लैब एवं उसके उपकरणों की सम्पूर्ण विवरण संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचनाएं विश्वविद्यालय को भी अवरय सूचित कराये। (विनियम: 6.13)

13. संस्था की समस्त सूचनाएं संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना विश्वविद्यालय को भी अवरय सूचित कराये। (विनियम: 6.16)

14. संस्था द्वारा छात्रों के लिये नये शुल्क की सूचना संस्था द्वारा अपनी वेबसाइट पर तथा संस्था के सूचना पट पर अवरय प्रकाश की जायेगी। इसकी सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी अन्यथा संस्था के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार किना जायगा।

15. अधिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की मान्यता समाप्त होने या निरस्त किये जाने या प्रस्तावित करने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायगा।

16. फार्मसी तथा आर्किटेक्चर की शिक्षाओं के शिक्षण प्रशिक्षण से सम्बद्ध संस्थाओं को इन शिक्षाओं के समस्त पाठ्यक्रमों हेतु सम्बन्धित व्यवसाय नियामक संगठन फार्मसी काउंसिल आफ इण्डिया/आर्किटेक्चर काउंसिल आफ इण्डिया (यथा लागू) से सत्र 2018-19 हेतु मान्यता का अनुमति पत्र प्रवेश हेतु आहूत की जाने वाली राज्य प्रवेश परीक्षा की काउंसिलिंग को पूर्ण विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा। मान्यता आदेश अप्रान्त रहने की दशा में संस्थाओं को प्रदत्त आस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी। सम्बन्धित नियामक संस्थान से मान्यता अप्रान्त की दशा में संस्थान फार्मसी तथा वास्तुकला के पाठ्यक्रमों में सत्र 2018-19 में किसी भी नये छात्र को पाठ्यक्रम विशेष में न हो काउंसिलिंग और न ही अपने स्तर से सीधे रिक्त सीट या प्रवन्धकिये शीट पर प्रवेश दे सकेगा। इन परिस्थितियों के लिए संस्थान स्वयं उत्तरदायित्व होगा।

17. संस्थान का शैक्षिक सत्र के अन्तर्गत किसी भी समय औद्योगिक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकता है और उचित औद्योगिक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के साथ कर्मियों के दृष्टिगत सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।

18. जिन संस्थानों की अभाति एवं विश्वविद्यालय के मानकों के सम्बन्ध में शासन अथवा विश्वविद्यालय स्तर से कोई निरीक्षण अथवा जांच की जाती है अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है तो सम्बन्धित संस्थानों की सम्बद्धता तत्काल समाप्त की जायेगी।

19. संस्थान द्वारा प्रवेश में उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित वर्गों) और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2006, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश मानकों, एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों से नियमानुसार निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का शुल्क न लिए जाने सम्बन्धि राज्य सरकार के शासनादेशों के अनुपालन न करने की स्थिति में, सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

20. विनिम्न संदर्भों के छात्रों हेतु शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों का अनुपालन संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि, संस्थान द्वारा इन आदेशों की अवहेलना की जाती है तो उस स्थिति में उनकी सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

21. संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि संस्थान में नवप्रवेशित/अव्ययनरत छात्रों से यही शुल्क लिया जाए जो शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित किया गया हो। अन्य किसी प्रकार का शुल्क/खोना लेने की शिक्षायात पर विश्वविद्यालय द्वारा संस्था की सम्बद्धता समाप्त करने एवं संस्था को Black List करने की कार्यवाही की जायेगी।

22. AMS (Academic Monitoring system) के संक्षेप में विश्वविद्यालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या ए0प्र0प्र0वि0/कुस0 का0/2014/4414-21 दिनांक 11.07.2014 के अनुपालन की अनिवार्यता होगी।

23. विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक एवं परीक्षा संबंधी कार्यों हेतु संस्थान के शिक्षकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को दिये गये दायित्वों का पालन सुनिश्चित करवाना, संस्थान का दायित्व होगा। संस्थान का यह दायित्व होगा कि यह शिक्षक अथवा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को उपलब्ध ही कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे। कतिपय कारणोंवश यदि ऐसा सम्भव न हो तो संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

24. विगत शैक्षिक सत्र में पाठ्यक्रमों में पंजीकृत छात्रों की न्यून संख्या, मानकानुसार अपेक्षित संख्या से थुन संख्या में उपलब्ध अर्ह शिक्षकों एवं पंजीकृत छात्रों के न्यूनतर परीक्षा परिणाम के कारण कतिपय संस्थानों की स्वीकृत प्रवेश क्षमता का एक निश्चित प्रतिशत का सम्बन्धन सत्र 2018-19 हेतु स्थापित रखा गया है। अगामी सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता जारी करने के पूर्व इसे पूर्णपूरित करने या संशोधित करने पर विश्वविद्यालय द्वारा समीक्षा की जायेगी।

25. पाठ्यक्रम विशेष के सम्बद्धता की लिखित क्षमता की गणना सम्बद्धता विवरण की तालिका के साथ 5 या 6 (यथा लागू) में स्तम्भ 7 के मूल्य को घटा कर प्राप्त की जा सकती है।

उपरोक्त शर्तों के अनुपालन में विफल अथवा संस्था के औद्योगिक निरीक्षण में किसी प्रकार की कमियां पायी जाने की स्थिति में संस्था की सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रवन्धक का होगा।

(ओम प्रकाश राय)
मुख्यसचिव

पृष्ठांक संख्या व दिनांक: उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, भा0 कुलाधिपति/श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश, राजनगण लखनऊ।
2. सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष, अधिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
4. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।



All India Council for Technical Education

(A Statutory body under Ministry of HRD, Govt. of India)

Nelson Mandela Marg/Vasant Kunj, New Delhi-110057

PHONE: 23724151/52/53/54/55/56/57 FAX: 011-23724183 www.aicte-india.org

Date: 30-Mar-2017

F.No. Northern/1-3324880175/2017/EOA

To,

The Principal Secretary (Tech. Edu.)
Govt. of Uttar Pradesh,
Sachiv Bhawan, Lucknow-225001,
12A, Navin Bhawan,
U.P. Lucknow-225001

Sub: Extension of approval for the academic year 2017-18

Ref: Application of the Institution for Extension of approval for the academic year 2017-18

Sir/Madam,

In terms of the provisions under the All India Council for Technical Education (Grant of Approvals for Technical Institutions) Regulations 2016 notified by the Council vide notification number F.No.A/IA/CTE/REG/2016 dated 30/11/2016 and norms standards, procedures and conditions prescribed by the Council from time to time, I am directed to convey the approval to

Permanent Id	1-4048493	Application Id	1-3324880175
Name of the Institute	MANGALMAY INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY	Institute Address	PLOT NO 8 & 9, KNOWLEDGE PARK-8, GREATER NOIDA, GREATER NOIDA, GAUTAM BUDDHA NAGAR, Uttar Pradesh, 201310
Name of the Society/Trust	MANGALMAY FOUNDATION TRUST	Society/Trust Address	C-115, SECTOR - 39, NOIDA,NOIDA,GAUTAM BUDDHA NAGAR,Uttar Pradesh,201301
Institute Type	Unaided - Private	Region	Northern

Opted for change from Women to Co-ed and Vice versa	No	Opted for change of name	No	Opted for change of site	No
Change from Women to Co-ed approved and Vice versa	Not Applicable	Change of name Approved	Not Applicable	Change of site Approved	Not Applicable
Opted for Conversion from degree to diploma	No	Opted for Conversion from diploma to degree	No	Conversion (degree to diploma or vice-versa) Approved	Not Applicable

To conduct following courses with the intake indicated below for the academic year 2017-18

Application Id: 1-3324880175			Course	Full/Part Time	Affiliating Body	Intake Approved for 2016-17	Intake Approved for 2017-18	NRI Approval status	PIO / FN / Gulf quota/ OCI/ Approval status	Foreign Collaboration/ Twinning Program Approval status
Program	Shift	Level								
MANAGEMENT	1st Shift	POST GRADUATE	MASTERS IN BUSINESS ADMINISTRATION	FULL TIME	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University,	180	180	NA	NA	NA

Application Number: 1-3324880175

Note: This is a Computer generated Report.No signature is required.

Printed By : AE1730317

Page 1 of 3
Letter Printed On:13 April 2017



All India Council for Technical Education

(A Statutory body under Ministry of HRD, Govt. of India)

Nelson Mandela Marg Vasanti Kunj, New Delhi-110067
PHONE: 23724181/52/53/54/55/56/57 FAX: 011-23724183 www.aicte-india.org

		TE			Uttar Pradesh, Lucknow					
MANAGEMENT	2nd Shift	POST GRADUATE	MASTERS IN BUSINESS ADMINISTRATION	FULL TIME	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	120	120	NA	NA	NA

The above mentioned approval is subject to the condition that

MANGALMAY INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY

shall follow and adhere to the Regulations, guidelines and directions issued by AICTE from time to time and the undertaking / affidavit given by the institution along with the application submitted by the institution on portal.

In case of any differences in content in this Computer generated Extension of Approval Letter, the content/information as approved by the Executive Council / General Council as available on the record of AICTE shall be final and binding.

Strict compliance of Anti-Ragging Regulation:- Approval is subject to strict compliance of provisions made in AICTE Regulation notified vide F. No. 37-3/Legal/AICTE/2009 dated July 1, 2009 for Prevention and Prohibition of Ragging in Technical Institutions. In case institution fails to take adequate steps to Prevent Ragging or fails to act in accordance with AICTE Regulation or fails to punish perpetrators or incidents of Ragging, it will be liable to take any action as defined under clause 9(4) of the said Regulation.

Note: Validity of the course details may be verified at www.aicte-india.org.

Prof. A.P Mittal
Member Secretary, AICTE

Copy to:

1. The Regional Officer,
All India Council for Technical Education
Govt. Polytechnic Campus
Adjoining Directorate of Technical Education
Vikas Nagar, Kanpur-208 002, Uttar Pradesh
2. The Director Of Technical Education**,
Uttar Pradesh
3. The Registrar**,
Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow
4. The Principal / Director,
MANGALMAY INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY
PLOT NO 8 & 9 , KNOWLEDGE PARK-II , GREATER NOIDA,
GREATER NOIDA,GAUTAM BUDDHA NAGAR,
Uttar Pradesh,201310
5. The Secretary / Chairman,
MANGALMAY FOUNDATION TRUST
C - 116,

Application Number: 1-3324880175

Note: This is a Computer generated Report.No signature is required.

Printed By : AE1736317

Page 2 of 3
Letter Printed On:13 April 2017

होगा।

8. सत्र प्रारम्भ होने के उपरान्त यदि संस्था के निदेशक/प्राचार्य का पद रिक्त होता है तो पद रिक्त होने के दिनांक तिथि से तीन-माह के अन्दर रिक्त पद पर चयन की कार्यवाही पूर्ण कर नियुक्त कर ली जाय जिसकी सूचना विश्वविद्यालय को अवश्य कराये। (अध्याय:8.15)
9. सत्र प्रारम्भ होने के पश्चात् संस्था में कार्यरत शिक्षकों द्वारा संस्था छोड़ने की स्थिति में 15 दिन (कार्य दिवस) के अन्दर विश्वविद्यालय को अवश्य सूचित करें। (अध्याय:8.18)
10. शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर स्टाफ के वेतन का आहरण नियमित रूप से किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। (अध्याय:8.25बी)
11. लैब एवं उसके उपकरणों की सम्पूर्ण विवरण संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचनाएं विश्वविद्यालय को भी अवश्य सूचित कराये। (अध्याय:8.13)
12. संस्था की समस्त सूचनाएं संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना विश्वविद्यालय को भी अवश्य सूचित करें। (अध्याय:8.16)
13. संस्था द्वारा छात्रों के लिये गये शुल्क की सूचना संस्था द्वारा अपनी वेबसाइट पर तथा संस्था के सूचना पट पर अवश्य चरपा की जायेगी। इसकी सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी अन्यथा संस्था के विरुद्ध सम्बन्धित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।
14. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की मान्यता समाप्त होने या निरस्त किये जाने या प्रत्याहित करने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
15. फार्मैसी तथा आर्किटेक्चर की विधाओं के शिक्षण प्रशिक्षण से सम्बद्ध संस्थाओं को इन विधाओं के समस्त पाठ्यक्रमों हेतु सम्बन्धित व्यवसाय नियामक संगठन फार्मैसी काउंसिल आफ इण्डिया/आर्किटेक्चर काउंसिल आफ इण्डिया (यथा लागू) से सत्र 2017-18 हेतु मान्यता का अनुमति पत्र, प्रवेश हेतु आहूत की जाने वाली राज्य प्रवेश परीक्षा की काउंसिलिंग के पूर्व विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा। मान्यता आदेश अप्राप्त रहने की दशा में संस्थाओं को प्रदत्त अर्थात् सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी। फार्मैसी तथा वास्तुकला के समस्त पाठ्यक्रमों में संस्थान सत्र 2017-18 में किसी भी नये छात्र को पाठ्यक्रम विशेष में न तो काउंसिलिंग और न ही अपने स्तर से सीधे रिक्त सीट या प्रवन्धकिया सीट पर प्रवेश दे सकेगा। इन परिस्थितियों के लिए संस्थान स्वयं उत्तरदायित्व होगा।
16. संस्थान का शैक्षिक सत्र के अन्तर्गत किसी भी समय औषक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकता है और उक्त औषक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के सापेक्ष कमियों के दृष्टिगत सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।
17. जिन संस्थानों की अनालशिष एवं विश्वविद्यालय के मानकों के सम्बन्ध में शासन अथवा विश्वविद्यालय स्तर से कोई निरीक्षण अथवा जांच की जाती है अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है तो सम्बन्धित संस्थानों की सम्बद्धता तत्कार्यवाही के अधीन होगी।
18. संस्थान द्वारा प्रवेश में उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों/अनु० जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2006, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश मानकों, एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों से नियमानुसार निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का शुल्क न लिए जाने सम्बन्धि राज्य सरकार के शासनादेश के व्यवस्थाओं के अनुपालन न करने की स्थिति में, सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
19. विभिन्न संवर्गों के छात्रों हेतु शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों का अनुपालन संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि, संस्थान द्वारा इन आदेशों की अवहेलना की जाती है तो उस स्थिति में उनकी सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
20. संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि संस्थान में नवप्रवेशित/अध्ययनरत छात्रों से वही शुल्क लिया जाए जो शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित किया गया हो। अन्य किसी प्रकार का शुल्क/डोनेशन लेने की शिकायत पर विश्वविद्यालय द्वारा संस्था की सम्बद्धता समाप्त करने एवं संस्था को Black List करने की कार्यवाही की जायेगी।
21. AMS (Academic Monitoring system) के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या उ०प्र०प्र०वि०/कुस० का०/2014/4414-21 दिनांक 11.07.2014 के अनुपालन की अनिवार्यता होगी।
22. विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षिक एवं परीक्षा संबंधी कार्यों हेतु संस्थान के शिक्षकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को दिये गये दायित्वों का पालन सुनिश्चित करवाना, संस्थान का दायित्व होगा। संस्थान का यह दायित्व होगा कि यह शिक्षक अथवा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को तत्काल ही कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे। कतिपय कारणोंवश यदि ऐसा सम्भव न हो तो संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
23. विगत शैक्षिक सत्र में पाठ्यक्रमों में पंजीकृत छात्रों की न्यून संख्या, मानकानुसार अपेक्षित संख्या से न्यून संख्या में पंजीकृत छात्रों के न्यूनतर परीक्षा परिणाम के कारण कतिपय संस्थानों की स्वीकृत प्रवेश क्षमता का एक निश्चित प्रतिशत का समतुल्य 2017-18 हेतु स्थगित रखा गया है। आगामी सत्र 2018-19 हेतु सम्बद्धता जारी करने के पूर्व इन्हे पूर्णजीविता परीक्षा द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा समीक्षा की जायेगी।
24. पाठ्यक्रम विशेष के सम्बद्धता की लम्बित क्षमता की गणना सम्बद्धता विवरण की तालिका के स्तंभ 4 या 5 (यथा लागू) में न्यून को घटा कर प्राप्त की जा सकती है।

Validity unknown



उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में विध्वंसन अथवा संस्था को औषक निरीक्षण में किसी प्रकार की कठिनाई पायी जाने की स्थिति में संस्था की प्रत्येक सम्पत्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धकतांत्र वत होगा।

(राकेस शर्मा)
मुख्य सचिव

पृष्ठानक संख्या व दिनांक: उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, मा0 कुलाधिपति/श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश, राजभवन लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, गाई दिल्ली।
4. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. गाई फाइल।

Validity unknown

Digitally signed by RAJESH KUMAR
DN: cn=RAJESH KUMAR,
ou=State of Uttar Pradesh,
ou=Postal Code 221002,ou=Country IN,
serialNumber=210820640070947054,mail=rajesh.kumar@1004762224270446
Reason: I am the author of this document.

राज्यपाल
उत्तर प्रदेश